भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3680

(सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

महाराष्ट्र में बंद निजी कंपनियां

3680. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नासिक, पुणे और संभाजीनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों, जहां हजारों श्रमिकों की आजीविका चली गई है इस बात पर विशेष बल देते हुए विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में बंद हुई निजी कंपनियों की संख्या का क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विस्थापित कर्मचारियों में से अधिकांश को न तो पुनर्वास मिला है और न ही वैधानिक देनदारियां मिली हैं, यदि हां, तो भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और बकाया मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में कंपनियों के बंद होने से प्रभावित श्रमिकों के लिए कोई विशेष पुनर्वास पैकेज लागू किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का रोजगार पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े जिलों में वास्तविक उद्योगों को आकर्षित करने हेतु कर प्रोत्साहन और स्थान-आधारित लाभ देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 और आईबीसी में परिसमापन एवं विघटन से संबंधित प्रावधान हैं। कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्टर से हटाने से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिए गए हैं।

तथापि, महाराष्ट्र में पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार जिले-वार परिसमापित, विघटित अथवा रजिस्टर से नाम हटाई गई निजी कंपनियों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है। क्षेत्र-वार सूचना अनुलग्नक-2 में दी गई है। निजी कंपनियों के

कारोबार बंद होने के कारण प्रभावित हुए कामगारों से संबंधित सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख): आईबीसी के अंतर्गत सीआईआरपी में शामिल कंपनी के मामले में, उसके सफल समाधान अथवा परिसमापन के पश्चात् कर्मचारियों एवं कामगारों के दावों का निपटान न्यायनिर्णायन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जहाँ कंपनियाँ समापन/परिसमापन के अधीन हैं, वहाँ कामगारों/कर्मचारियों के दावों, जिसमें लंबित मजदूरी तथा अन्य स्वीकार्य सांविधिक देयताएँ शामिल हैं, का निपटान, परिसमापक द्वारा कंपनी अधिनियम अथवा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 जैसा भी मामला हो के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। परिसमापक कामगारों/कर्मचारियों के दावों को आमंत्रित करता है और उनका निपटान करता है तथा कंपनी की आस्तियों से प्राप्त राशि का वितरण, सांविधिक प्राथमिकता क्रम के अनुसार निधियों की उपलब्धता के अधीन, करता है।

(ग) और (घ): उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के दृष्टिगत, ऐसी कोई सूचना इस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

अनुलग्नक-1

दिनांक 10.08.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3680 के भाग (क) से संदर्भित

पिछले पांच वित्तीय वर्षों में महाराष्ट्र में परिसमापन की गई, भंग की गई या समाप्त की गई निजी कंपनियों की संख्या का जिलावार विवरण

क्र. सं.	ज़िला	कंपनियों की संख्या
1.	अहमदनगर	308
2.	अकोला	119
3.	अमरावती	151
4.	औरंगाबाद	654
5.	बांद्रा उपनगरीय	172
6.	भंडारा	51
7.	बोली	116
8.	बुलढाना	133
9.	चंद्रपुर	111
10.	धुले	99
11.	गडचिरोली	25
12.	गोंदिया	43
13.	हिंगोली	29
14.	जलगांव	215
15.	जलना	108
16.	कोल्हापुर	429
17.	लातूर	163
18.	मुंबई शहर	12009
19.	नागपुर	1478
20.	नांदेड़	169
21.	नंदुरबार	47
22.	नासिक	840
23.	उस्मानाबाद	71
24.	अन्य	5636
25.	परभनी	72
26.	पुणे	6433
27.	रायगढ़	822
28.	रत्नागिरि	78
29.	सांगली	247
30.	सतारा	196
31.	सिंधुदुर्ग	46
32.	सोलापुर	262
33.	ठाणे	4704
34.	वर्धा	69
35.	वाशिम	29
36.	यवतमाल	76
	कुल योग	**36211**

अनुलग्नक- 2

दिनांक 10.08.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3680 के भाग (क) से संदर्भित

पिछले पांच वित्तीय वर्षों महाराष्ट्र में परिसमापन की गई, भंग की गई या समाप्त की गई निजी कंपनियों की संख्या का क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**कंपनियों की संख्या**
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1178
2.	व्यावसायिक सेवाएं	14613
3.	सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएँ	3361
4.	निर्माण	2356
5.	बिजली, गैस और पानी कंपनियां	387
6.	वित्त	1012
7.	बीमा	41
8.	विनिर्माण, खनन और उत्खनन और अन्य	6582
9.	रियल एस्टेट और किराये पर लेना	1149
10.	व्यापार	4196
11.	परिवहन, भंडारण और संचार	1336
	कुल योग	36211